

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-18/2017/एस-2-652/दस-2017-33(36)/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 01 मई,2017

कार्यालय-आदेश

श्री राज्यपाल, चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त 30प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-एक, वेतनबैंड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष वेतनमान, वेतनबैंड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए, उनके वर्तमान पदों पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8700/- में अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2
1	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
2	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद।

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, 30प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

3- इस प्रोन्नति का प्रभाव वर्तमान तैनाती के पदनाम पर नहीं होगा। प्रोन्नत अधिकारियों द्वारा स्वतः परिवर्तित पदनाम के प्रयोग को शासन द्वारा कदाचार के रूप में संज्ञान लिया जायेगा।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

संख्या-18/2017/एस-2-652(1)/दस-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद/लखनऊ (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन)।
- 7- संबंधित अधिकारीगण।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।